M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
21 OCT 2019
Inward No 5121 CCIP

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 15 /10/2019

क्रमांक एफ 16-19/2019/ए-ग्यारह::राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स सतगुरू सीमेंट प्रा.लि. द्वारा लगभग 425.40 करोड़ के पूंजी निवेश से ग्राम-करौंदिया जिला धार में सीमेंट विनिर्माण परियोजना स्थापना संबंधी प्रस्ताव को आदिवासी बाहुल्य तथा औद्योगिक रूप से पिछडे क्षेत्र में स्थापना के दृष्टिगत निम्नानुसार सुविधाऐं दी जावे:-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - उद्योग सवंर्धन नीति-2014 (यथा संशोधित 2018) में प्रावधान अनुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ शर्तो के अध्याधीन।
2. **स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति** - केवल औद्योगिक भूमि पर स्टांप शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा की जावे।
3. **विद्युत शुल्क से छूट** - नवीन अथवा विद्यमान विद्युत कनेक्शन पर दिये अतिरिक्त विद्युत भार पर 10 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट दी जावे।
4. **विद्युत टैरिफ में रियायत** - रू. 5 प्रति यूनिट की स्थिर दर से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की दिनांक से 5 वर्षों हेतु विद्युत उपलब्ध करायी जावे। संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी देयक की शेष राशि (यदि कोई हो तो) एम.पी.आई.डी.सी. से प्राप्त कर सकेगी।
5. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2018) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।
6. कम्पनी परियोजना अंतर्गत सडक परिवहन तथा अन्य संबंधित सेवाओं हेतु मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत वाहनो का उपयोग सुनिश्चित करेगी।
7. कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिपेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करना आवश्यक होगा।
8. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

15/10/19

(डॉ. राजेश राजौरा)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर ....

पृ.क्रमांक एफ 16-19/2019/ए-ग्यारह **भोपाल, दिनांक 17/10/2019**

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/पर्यावरण विभाग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, एमपी आईडीसी. लि., भोपाल।
4. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
5. कलेक्टर, जिला धार
6. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मेसर्स सतगुरू सीमेंट प्रा.लि. सी-21 मॉल, 601/1, एरिन हाइट्स, पीयू-3, स्कीम न. 54, ए.बी.रोड, इन्दौर - 452010

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग